



खाता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

ग्राम का नाम : सराय काजी परगना : (मेरठ) तहसील : सदर जनपद : मेरठ फसली वर्ष : 1422-1427 भाग : 1 खाता संख्या : 00191

खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	आदेश	टिप्पणी
--	-------------	-----------------	------	---------

श्रेणी : 4 / भूमि जो उस दशा में बिना आगम के अध्यासीनो के अधिकार में हो जब खसरेके स्तम्भ 4 में पहले से ही किसी व्यक्तिका नाम अभिलिखित न हो।

अरबन सिलिंग भूमि //	28मि./1	0.3800	कार्यालय सधम प्रा0न0 भू0 सीमा रोपण वि0प्रा0 परिसर मेरठ के पत्रांक 734/न0 भू0 सी0/ 92 दि0 1-10-92 स0 प्रा0 मेरठ/न0 भू0 सी0 अधिनियम की धारा 10(5) के अन्तर्गत कब्जा प्राप्त मेरठ वि0 प्राधिकरण हस्तान्तरित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है।	
	39मि./1	0.3440		
	50मि./1	0.1230		
	51मि./1	0.1230		
	51मि./2	0.1680	क्रमांक 11 वि0 प्रा0 स0 1240 रामजीलाल पुत्र भज्जड़ नि0 सराय काजी ख0न0 248/593/632.30 व 248/5817.16 वर्ग मीटर तहसील द्वारा कब्जा लेने का दि0 12-2-79 एम.डी.ए. को कब्जा देने का दि0 26-6-89	
	55मि./7	0.0120	क्रमांक 5 वि.प्रा0स0 1369 हुकम सिंह पुत्र चेतू	
	116मि.	0.0350		
	117मि.	0.0400		
	137	0.0760	नि0सराय काजी ख0न0 241मि./80.24 व 243/885.22 वर्ग मी0तह0द्वारा कब्जा लेने का दि0 30-5-79 एम.डी.ए. को कब्जा देने का दि0	
	138	0.0890	24-6-89 व क्रमांक 10वि.प्रा.सं. 405 रामजीलाल पुत्र मटरू नि0सराय काजी	
	147	0.2150	ख.नं.51मि./ 1683.27वर्ग मी0 तह0द्वारा कब्जा लेने का दि.11.5.79	
	149	0.4680	M.D.A को कब्जा देने का दि.24.689 ह.ले.24.2.93	
	150	0.4810		
	151	0.2780	1411 फे0 न्यायालय ना0 तह0 तृतीय वाद सं049/205 धारा 34 एल आर	
	152	0.1260	एकट श्याम सिंह आदि बनाम रामजी लाल ग्रा0 कस्बा मेरठ आदेश दि0	
	157मि	0.1170	9.10.03 को आदेश हुआ कि ग्राम सराय काजी का खाता नं0 249 के गाटा	
	158	0.0510	सं0 248/0.582 व 248/393 रकबा 0.063 व 237/0.095 व	
	159	0.0760	238/0.284 व 240/0.066 हे0 से भ्रतक रामजी लाल	
	160	0.2280		
	163	0.1520	का कुल हक व हिस्से से भ्रतक रामजीलाल पु0 भज्जू नि0 शेरगढी के स्थान पर	
	196मि.	0.0280	श्याम िसह राजकुमार पुत्रगण रामजी लाल नि0 शेरगढी का नाम पंजी0	
	197मि.	0.0160	वसीयत 20.5.02 आधार पर बारिस्तान अंकित हो ा ह0 ले0 29.3.04	
	237मि.	0.0630		
	238	0.1900	1412 फे0 न्यायालय उप जिला अधिकारी महोदय मेरठ वाद सं0 32 अंतर्गत	
	239मि./2	0.1200	धारा 210 एल आर एकट महावीर बनाम श्याम सिंह कस्बा मेरठ आदेश दि0	
			23.7.04 उपरोक्त विवेचना के आधार पर अवर न्या0का आदेश दि0	
			9.10.03 निरस्त किया जाता है ा एवं अपीलार्थी श्री महावीर पु0 रामजी लाल	
			नि0 ग्राम शेरगढी की	

239मि./3	0.2190	स्वीकार की जाती है ा अवर न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह उपयुक्त वर्णित बिंदुओं को दृष्टिगत गुणदोष के आधार पर वाद में विधि सम्मत निर्णय पारित करे ा ह0ले0 20.8.04
240मि.	0.0450	
241/2	0.0080	
243/2	0.0890	1414फ न्यायालय उपजिलाधिकारी मेरठ वाद सं0 85 अन्तर्गत धारा 33/39 एल0आर0एक्ट ग्राम सराय काजी पर0तह0 व जिला मेरठ श्रीमती भगीरथी बनाम उ0प्र0 सरकार पत्रांक 1127/आर0ए0/2006 दि0 22-9-06
248	0.5820	उपरोक्त वाद में इस न्यायालय द्वारा दि0 7-9-06के अनुसार खाता सं0 248 ख0नं0 39मि./1 रकबा
324/1	0.0160	
325मि.	0.1200	
248/393	0.0630	0.3440है0 स्थित ग्राम सराय काजी पर0तह0 व जिला मेरठ के स्थान पर
40मि.	0.6620	1725.17है0 भूमि दर्ज की जाए तथा खाता सं0 52 के ख0नं0 39मि./1
41/1	0.1520	स्थित ग्राम सरायकाजी पर0तह0 व जिला मेरठ में चन्द्रकिरण, छोटेला, गजे सिंह, रोजनलाल पुत्रगण दुर्गा के साथ श्रीमती भगीरथी पत्नी श्री जयकरण नि0ग्राम सरायकाजी पर0तह0
43/2	0.0630	
44/2	0.0630	
45/1	0.0890	व जिला मेरठ का नाम सहखातेदार के स्प में दर्ज हो तथा ख0नं0 39/1 रकबा
57	0.1010	स्थित ग्राम सराय काजी पर0तह0 व जिला मेरठ का क्षेत्र 0.276है0 के स्थान पर 0.440है0 दर्ज किया जाए। ह0(शिशिर) उपजिलाधिकारी मेरठ
308/2मि.	0.1220	ह0आर0के0 5-10-06
198मि	0.0060	
201मि	0.0250	1416फ कार्यालय सक्षम प्राधिकारी, नगर भूमि सीमारोपण मेरठ भूधारक ब्रह्म सिंह पुत्र स्माल नि0ग्राम काजीपुर मेरठ द्वारा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत दाखित विवरणी सं0 12850 में
289मि	0.0910	समक्ष प्राधिकारी के आदेश अन्तर्गत धारा 8(4) दि0 11-8-82 द्वारा भूधारक की ग्राम सराय
298मि0	0.0390	
316	0.0950	
208	0.4770	काजी के ख0नं0 298मि. व 289 तथा 316 से कुल 2253.64 वर्ग मीटर
312मि0	0.0980	भूमि अतिरिक्त रिक्त घोषित की गयी। जिस पर धारा 10(5) के अन्तर्गत दि0
287.	0.0740	17-7-89 को कब्जा प्राप्त कर दि0 31-7-89 को मेरठ विकास प्राधिकरण
239/1.	0.1020	मेरठ को कब्जा हस्तारित कर दिया गया। सक्षम प्राधिकारी के धारा 8(4) के आदेश दि0 11-8-82
		के विरुद्ध भूधारक की ओर से मा0जिला जज मेरठ के न्यायालय में अपील संख्या-98/1988 ब्रह्म सिंह बनाम उ0प्र0राज्य योजित की गयी। मा0जिला जज मेरठ ने अपने आदेश दि0 21-4-90 द्वारा अपील स्वीकार करते हुये सक्षम प्राधिकारी को धारा 8(4) का आदेश दि0 11-8-82 निरस्त कर पुनः प्रकरण निस्तारण हेतु
		रिमाण्ड कर दिया गया। फलतः पत्रावली में पूर्व में की गयी समस्त कार्यवाही समाप्त हो गयी और दि0 18-3-99 से नगर भूमि सीमारोपण निरसन अधिनियम, 1999 प्रभावी हो गया। निरसन अधिनियम की धारा 3(2) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार प्रवृत्त प्रकरण में अतिरिक्त घोषित भूमि भू-धारक के पक्ष में आयुक्त मानी जायेगी।

			उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेखों में निम्नांकित भूमि से राज्य सरकार/मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ का नाम काटकर पुनः भूधारक का नाम दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतएव निम्नांकित भूमि से राज्य सरकार का नाम काटकर राजस्व अभिलेखों में पुनः भूधारक का नाम दर्ज किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। भूमि का विवरण-- भूधारक का नाम ब्रह्म सिंह पुत्र स्माल नि० काजीपुर तह० व जिला मेरठ, ग्राम का नाम सराय काजी, ख०न० 298मि. क्षेत्र 394.62वर्ग मी०, 289 क्षेत्र 910.57वर्ग मी० व 316 क्षेत्र 948.45वर्ग मी० कुल 2253.64 वर्ग मी० ह०(ए०के०सिंह) अपर जिलाधिकारी (प्र०) /सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मेरठ ह०आर०के० 27-12-08 1417फ कार्यालय सक्षम प्राधिकारी, नगर भूमि सीमारोपण मेरठ पत्रांक 419/न०भू०सी०/कञ्जा /2009 दि० 21-11-09 विवरणी संख्या 660 अमर सिंह के अनुसार प्रार्थना पत्र दाता श्रीमती बालेम्बरी पत्नी स्व० विजयपाल व सोनू कुमार पुत्र स्व० विजयपाल, नि० ग्राम सराय काजी मेरठ द्वारा दि० 28-7-09 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसमें उल्लेख किया गया कि भूधारक अमर सिंह पुत्र बख्तावर, नि०ग्राम सराय काजी मेरठ द्वारा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत दाखिल विवरण पत्र में ग्राम सरायकाजी स्थित ख०न० 308/2 की 608.10वर्ग मी० भूमि अतिरिक्त रिक्त घोषित की गयी। जिस पर वर्ष 1992 में एम०डी०ए० के नाम अमल द्रामद किया गया। पुनः दि० 4-4-96 को राज्य सरकार के नाम अमल द्रामद होने के उपरांत उनकी भूमि दो बार सीलिंग में काट दी गयी। इस सम्बन्ध में कार्यालय पत्रांक 380/न०भू०सी०/कञ्जा /2009 दि० 8-10-09 द्वारा आपसे आख्या मांगी गयी। आपकी प्राप्त आख्या दि० 15-10-09 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि ख०न० 308/2 स्थित ग्राम सराय काजी में भूधारक के नाम कुल 800 वर्ग मी० भूमि जोब है तथा 1220वर्ग मी० भूमि नगरीय सीलिंग के खाते में अंकित है। जिससे स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है कि ख०न० 308/2 स्थित ग्राम सराय काजी की अतिरिक्त रिक्त घोषित कञ्जा प्राप्त 608.10 वर्ग मी० भूमि नगरीय सीलिंग में दो बार काट दी गयी है, जबकि 608.10 वर्ग मी० भूमि पर ही नगरीय सीलिंग अंकित किया जाना नियमतः सही है। ह० सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मेरठ ह०आर०के० 5-12-09	
योग	49	7.4000		